

खपरगंज में शांति, चौक-चौराहों पर पुलिस का पहरा, घटना पर नजर

बिलासपुर/नवप्रदेश। खपरगंज में विवाद के बाद अब हालात तेजी से सामान्य होने लगे हैं। इलाके में जनजीवन पटरी पर लौट रहा है और सभी दुकानें खुल गई हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर प्रमुख चौक-चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात रखा गया है। जिला एवं पुलिस प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है और अधिकारियों द्वारा स्थिति की नियमित समीक्षा की जा रही है। दोनों समुदायों के करीब 50 लोगों पर एफआईआर, 11 गिरफ्तार; अन्य आरोपियों की सरगमी से तलाश जारी खपरगंज में

हुए विवाद के बाद पुलिस प्रशासन ने कानून-व्यवस्था को लेकर सख्ती बरकरार रखी है। विवाद में दोनों समुदायों की ओर से सामने आए लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। करीब 50 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। विवाद के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी। अब हालात में लगातार सुधार होने के बाद जनजीवन सामान्य होता नजर

आ रहा है। बाजार में सभी दुकानें खुली हुई हैं और लोगों की आवाजाही भी सामान्य है। इसके बावजूद पुलिस किसी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बल की तैनाती किए हुए है। जिला एवं पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी खपरगंज सहित आसपास के क्षेत्र की स्थिति की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। पुलिस की ओर से क्षेत्र में गश्त बढ़ाई गई है और संधिध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन की प्राथमिकता क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द का माहौल बनाए रखना है। पुलिस



अधिकारियों का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। दर्ज एफआईआर के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार सक्रिय हैं।

स्थिति में तेजी से सुधार, जनजीवन सामान्य
विवाद के बाद जहां क्षेत्र में तनाव का माहौल था, वहीं अब स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है। बाजार खुलने से व्यापारिक गतिविधियां भी सामान्य हो गई हैं। स्थानीय लोगों में भी धीरे-धीरे भरोसा लौट रहा है। हालांकि सुरक्षा के महहनजर पुलिस की मौजूदगी बनी हुई है, ताकि किसी भी तरह की स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल नियंत्रण किया जा सके। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। फिलहाल खपरगंज में स्थिति नियंत्रण में है और प्रशासन की नजर पूरे क्षेत्र पर बनी हुई है।

न्यूज गैलरी
रेलवे के एक अधिकारी व 25 कर्मचारी सेवानिवृत्त

बिलासपुर/नवप्रदेश। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के विभिन्न विभागों में कार्यरत वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक(गुड्स) सहित 25 रेल परिवार के सदस्य माह अगस्त 2026 में अपनी गौरवशाली रेल सेवा पूर्ण करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर स्थित सीबीटी कक्ष में आयोजित सम्मान समारोह में सेवानिवृत्त हो रहे समस्त कर्मचारियों को ससम्मान विदाई दी गई। इस अवसर पर मंडल कार्मिक अधिकारी यू.एस.एस. राव द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारी व कर्मचारियों को बंदोबस्त भुगतान से संबंधित समस्त दस्तावेज, सेवा प्रशस्ति प्रमाण-पत्र एवं सेवा मैडल आदि प्रदान किया गया। इस दौरान मुख्य कार्यालय अधीक्षक (आईटी) सेवक रजक द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उम्मीद कार्ड (मैडिकल) व बंदोबस्त से संबंधित नियमों से अवगत कराया गया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त कर्मियों के परिजन, कल्याण निरीक्षक तथा कार्मिक निपटारा शाखा के कर्मचारीगण उपस्थित थे। मंडल के सेवानिवृत्त हो रहे 25 रेल परिवार के सदस्यों में परिचालन विभाग से 08, इंजीनियरिंग विभाग से 04, विद्युत विभाग से 04, यांत्रिक विभाग से 02, मेडिकल विभाग से 01, सिग्नल व दूरसंचार से 04, तथा वाणिज्य विभाग से 02 कर्मचारी शामिल हैं। इस अवसर पर मंडल कार्मिक अधिकारी ने सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी गौरवशाली रेल सेवा के लिए बधाई दी तथा तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु होने की कामना की गई।

6 बढमाशों पर आर्मस् एक्ट की कार्रवाई

बिलासपुर/नवप्रदेश। थाना सिरगिट्टी पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर थाना क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों गणेश नगर, नयापारा, चुचुहियापारा एवं तिफरा में रात्रि सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान करीब 40-50 संधिध व्यक्तियों एवं गुण्डा बढमाशों की बारीकी से जांच की गई। चेकिंग के दौरान 06 आरोपियों के कब्जे से 01 नग तलवार एवं 05 नग धारदार चाकू बरामद किए गए। आरोपियों के विरुद्ध आर्मस् एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया। आर्मस् एक्ट के तहत गिरफ्तार आरोपियों में विकास सिंह (32), प्रमोद कुर्मी (26), अनिकेत नेताम (24), लक्की नेताम (22), राम नायक (18) एवं रोहित तांडी (34) शामिल हैं। अभियान के दौरान गंधी चौक के एक अन्य प्रकरण में फरार आरोपी रोहित धुरी (36), निवासी बन्नाकडीह, को भी गिरफ्तार किया गया।

भारतीय रेल में अपनी तरह की पहली पहल लाइव ट्रेन मॉनिटरिंग सिस्टम का शुभारंभ, निगरानी होगी पारदर्शी

बिलासपुर/नवप्रदेश। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल ने रेल परिचालन को अधिक संरक्षित, तेज, पारदर्शी एवं कुशल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए लाइव ट्रेन मॉनिटरिंग सिस्टम का शुभारंभ किया है। लाइव ट्रेन मॉनिटरिंग सिस्टम का शुभारंभ तरुण प्रकाश, महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा सोमवार को किया गया। इस अवसर पर प्रधान मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर जी. पी. खुटे, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के.के.सिन्हा, मंडल रेल प्रबंधक, बिलासपुर राकेश रंजन सहित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल स्थित डिवीजनल कंट्रोल में स्थापित लाइव ट्रेन मॉनिटरिंग सिस्टम भारतीय रेल में अपनी तरह की पहली पहल है। इस प्रणाली की प्रमुख विशेषता भारतीय रेल का सबसे बड़ा अल्ट्रा-नैरो-गेजल वीडियो वॉल है, जिसके माध्यम से ट्रेनों की आवाजाही एवं सिग्नलिंग की स्थिति का वास्तविक समय में



व्यापक एवं स्पष्ट दृश्य प्राप्त किया जा सकता है। लाइव ट्रेन मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से रेल परिचालन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारीयें एकीकृत एवं केंद्रीकृत रूप में उपलब्ध होती हैं। इससे नियंत्रण कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों को ट्रेनों की स्थिति एवं परिचालन से जुड़ी परिस्थितियों का तत्काल आकलन करने में सहायता मिलती है। इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं ट्रेनों की आवाजाही एवं सिग्नलिंग

स्थिति की वास्तविक समय में निगरानी। मंडल के विभिन्न क्षेत्रों में ट्रेनों की स्वचालित निगरानी एवं ट्रैकिंग। स्टेशनों के यार्ड एवं ब्लॉक खंडों का एकीकृत दृश्यंकन। रेल परिचालन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं का केंद्रीकृत प्रदर्शन। परिचालन संबंधी निर्णय लेने में तेजी एवं बेहतर समन्वय। नियंत्रण कार्यालय के अधिकारियों की परिस्थितिजन्य जागरूकता में वृद्धि। संरक्षित, समयबद्ध एवं अधिक

समझने और आवश्यक कार्रवाई करने में अधिक सुविधा होगी। यह प्रणाली विशेष रूप से कंट्रोल कार्यालय के अधिकारियों को किसी भी परिचालन संबंधी स्थिति का त्वरित आकलन कर समय पर निर्णय लेने में सहायक होगी। इससे ट्रेनों के संचालन में बेहतर समन्वय स्थापित करने के साथ-साथ रेल परिचालन की संरक्षा एवं समयबद्धता को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। बिलासपुर मंडल में लाइव ट्रेन मॉनिटरिंग सिस्टम का शुभारंभ रेल परिचालन के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह अत्याधुनिक डिजिटल प्रणाली संरक्षित, स्मार्ट, पारदर्शी और अधिक कुशल रेल परिचालन की दिशा में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की तकनीक आधारित कार्यप्रणाली को और मजबूत करेगी तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप रेल परिचालन को अधिक सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

कुशल रेल परिचालन में सहयोग। बिलासपुर के 47 एवं रायपुर मंडल के 12 स्टेशनों की निगरानी लाइव ट्रेन मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से बिलासपुर मंडल के 47 स्टेशनों तथा रायपुर मंडल के 12 स्टेशनों में रेल परिचालन की निगरानी एवं दृश्यता को बेहतर बनाया गया है। वास्तविक समय के आंकड़ों, डिजिटल तकनीक एवं केंद्रीकृत निगरानी के एकीकरण से परिचालन संबंधी परिस्थितियों को

पुणे में नॉन इंटरलॉकिंग दफूमरे में ट्रेनें प्रभावित

बिलासपुर/नवप्रदेश। मध्य रेलवे के पुणे एवं हडपसर स्टेशन यार्ड में तीसरी लाइन के कमीशनिंग से संबंधित प्री-नॉन इंटरलॉकिंग एवं नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित कुछ ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी परिवर्तन किया गया है। यात्रियों की सुविधा एवं ट्रेनों के सुचारु परिचालन को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा निम्नानुसार व्यवस्था की गई है। परिवर्तित मार्ग से चलने वाली गाडियां :- ट्रेन संख्या 12221 पुणे-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस दिनांक 19 सितम्बर एवं 03 अक्टूबर 2026 को निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग व्हाया पुणे-लोनावला-क र्ज त-पनवेल-कल्याण-इगतपुरी-मनमाड होकर चलेगी। ट्रेन संख्या 12222 हावड़ा-पुणे दुरंतो एक्सप्रेस दिनांक 03 अक्टूबर 2026 को निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग व्हाया मनमाड-इगतपुरी-कल्याण-



पनवेल-कर्जत-लोनावला होकर पुणे जाएगी। रास्ते में समाप्त/प्रारंभ होने वाली गाडियां : हटिया से दिनांक 02 अक्टूबर 2026 को रवाना होने वाली ट्रेन संख्या 22846 हटिया-पुणे एक्सप्रेस दौड़ स्टेशन में समाप्त होगी। पुणे से दिनांक 04 अक्टूबर 2026 को रवाना होने वाली ट्रेन संख्या 22845 पुणे-हटिया एक्सप्रेस दौड़ स्टेशन से प्रारंभ होगी। देरी से रवाना होने वाली गाडियां :- पुणे से दिनांक 21 सितम्बर 2026 को रवाना होने वाली ट्रेन संख्या 12221 पुणे-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस अपने

निर्धारित समय से 01 घंटे 45 मिनट विलंब से रवाना होगी। पुणे से रवाना होने वाली ट्रेन संख्या 12129 पुणे-हावड़ा एक्सप्रेस दिनांक 19 सितम्बर को 30 मिनट, 20 सितम्बर को 02 घंटे, 03 अक्टूबर को 50 मिनट तथा 04 अक्टूबर 2026 को 01 घंटे 55 मिनट विलंब से रवाना होगी। हडपसर से रवाना होने वाली ट्रेन संख्या 20151 हडपसर-रीवा एक्सप्रेस दिनांक 24 सितम्बर को 45 मिनट तथा 01 अक्टूबर 2026 को 01 घंटे 45 मिनट विलंब से रवाना होगी।

कौमी एकता बिगाड़ने वालों पर शिकंजा कसने की मांग मूल निवासी संघ का आरोप- सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट से माहौल खराब करने की कोशिश

बिलासपुर/नवप्रदेश। शहर की गंगा-जमुनी तहजीब और कौमी एकता को नुकसान पहुंचाने वाले कथित असामाजिक तत्वों के खिलाफ अब सामाजिक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। बिलासपुर में हिंदू-मुस्लिम भाईचारा और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयासों पर तत्काल रोक लगाने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से कथित तौर पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को मूल निवासी संघ छत्तीसगढ़ भारत के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से राम सिंह ठाकुर का नाम लेते हुए उनके खिलाफ दर्ज मामलों, सोशल मीडिया गतिविधियों और वायरल हो रहे वीडियो को गहन जांच की मांग की। मूल निवासी संघ का आरोप है कि बिलासपुर शहर लंबे समय से सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव की पहचान रहा है, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर इस माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यदि किसी समुदाय के खिलाफ नफरत या तनाव पैदा करने वाली सामग्री प्रसारित की जाती है तो उसका असर कानून-व्यवस्था पर पड़ सकता है। ज्ञापन में संघ ने आरोप लगाया कि राम सिंह ठाकुर के खिलाफ विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रतिनिधिमंडल का दावा है कि ठाकुर द्वारा सोशल मीडिया पर हिंदू-मुस्लिम समुदायों के बीच नफरत फैलाने, लोगों को ऊकसाने और तनाव का माहौल पैदा करने वाली सामग्री लगातार प्रसारित की जा रही है। संघ ने प्रशासन से कहा



कि इस पूरे मामले में किसी समुदाय विशेष को निशाना बनाने के बजाय निष्पक्ष तरीके से जांच कर जो भी दोषी मिले, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। संगठन का कहना है कि शहर में शांति बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मूल निवासी संघ ने ज्ञापन में सरकार की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए। संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि ऐसे तत्वों को राजनीतिक संरक्षण मिलने के कारण उनके

खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही है। संगठन ने इसे प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल बताते हुए मुख्यमंत्री और गृह विभाग की कार्यप्रणाली पर भी निशाना साधा। संघ ने आरोप लगाया कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ लगातार शिकायतें और एफआईआर हैं तथा उसके सोशल मीडिया पोस्ट से तनाव की स्थिति पैदा होने की आशंका है तो प्रशासन को तत्काल कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। इस अवसर पर मूल निवासी संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट अमरजीत पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम मूर्त कौशिक, जमात-ए-इस्लामी हिंद संगठन बिलासपुर के वाहिद सिद्दीकी सहित सामाजिक कार्यकर्ता अनूप धुव, अनिता कश्यप, कविता कोल, अंबिका कौशिक, बीके पासवान, योगेश साहू, सुमन मरकाम, रानी हेला और मो. आसिफ भाभा मौजूद

रैली : तीन सूत्रीय मांगों को लेकर ट्रस्ट को सौंपा ज्ञापन, सुरक्षा के लिए चार घंटे छावनी बना रहा मंदिर परिसर महामाया धाम में विहिप की धर्म जागरण रैली

■ गैर हिंदुओं को दुकान नहीं देने, ज्योत कलश के लिए तेल की खरीदी पर रोक और गीता प्रेस की दुकान खोलने की मांग
बिलासपुर/रतनपुर/नवप्रदेश। महामाया धाम में रविवार को विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्म जागरण रैली निकालकर मंदिर ट्रस्ट कार्यालय पहुंचकर तीन सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने मंदिर क्षेत्र में गैर हिंदुओं को दुकानें आवंटित नहीं करने, नवरात्रि के दौरान ज्योत कलश के लिए तेल गैर

हिंदू दुकानदारों से नहीं खरीदने तथा पार्किंग स्थल में गीता प्रेस की दुकान संचालन के लिए स्थान उपलब्ध कराने की मांग की। ट्रस्ट ने मांगों पर वैधानिक प्रक्रिया के तहत शीघ्र कार्रवाई करने का लिखित आश्वासन दिया है। दरअसल, बीते दिनों महामाया मंदिर क्षेत्र में दुकानदारों के बीच हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने बैठक कर मंदिर ट्रस्ट को ज्ञापन सौंपने और मंदिर क्षेत्र में दुकानों के आवंटन को लेकर अपनी मांग रखने का निर्णय लिया था। इसी क्रम में रविवार दोपहर



महामाया चौक से विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्म जागरण रैली निकाली। रैली में साधु-संतों के साथ विहिप और बजरंग दल के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। जय श्रीराम

के उद्घोष के साथ कार्यकर्ता पदयात्रा करते हुए महामाया मंदिर ट्रस्ट कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने ट्रस्ट पदाधिकारियों को तीन सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा।

सुरक्षा के लिए छावनी बना रहा मंदिर परिसर
रैली को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। महामाया चौक से लेकर मंदिर प्रांगण तक बड़ी संख्या में पुलिस जवान तैनात रहे। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद रहा। करीब चार घंटे तक मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील रहा। मौके पर एडिशनल एसपी मधुलिका सिंह, एसडीओपी नूपुर उपाध्याय, टीआई नीलेश पंडे सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।

जिले में मानसून अधिक मेहरबान

बिलासपुर/नवप्रदेश। जिले में मानसून इस बार सामान्य से अधिक मेहरबान रहा है। 1 जून से 31 अगस्त 2026 तक जिले में कुल 10,853.2 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो पिछले 10 वर्षों की औसत वर्षा 10,299.3 मिमी की तुलना में 105.4 प्रतिशत है। यानी जिले में औसत से करीब 5.4 फीसदी अधिक वर्षा हो चुकी है। तहसीलवार आंकड़ों के मुताबिक बिलासपुर तहसील में 1,072.8 मिमी बारिश दर्ज हुई है, जो पिछले 10 वर्षों की औसत 898.3 मिमी की तुलना में 119.4 प्रतिशत है। इसी तरह मस्तुरी में 913.2 मिमी, तखतपुर में 939.4 मिमी, कोटा में 750.4 मिमी, सीपत में 804.1 मिमी और बोदरी में

984.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। सबसे अधिक औसत की तुलना में वर्षा बोदरी तहसील में 125.7 प्रतिशत दर्ज हुई है। वहीं बेलतरा में 97.7 प्रतिशत, रतनपुर में 114.6 प्रतिशत, सकरी में 112.2 प्रतिशत और पंचपेड़ी में 92.1 प्रतिशत वर्षा हुई है। बेलतरा में 1,044.8 मिमी बारिश दर्ज की गई है। 31 अगस्त को जिले में 1.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। तहसीलवार आज की बारिश में बिलासपुर में 0.2 मिमी और बेलतरा में 1.0 मिमी वर्षा हुई, जबकि अन्य तहसीलों में बारिश दर्ज नहीं हुई।



